न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 40 / 2025

प्रार्थी | **बनाम** | **विप्रार्थीगण**

लुंभाराम पुत्र रणछोड़ाराम व्यस्क जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गालानाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

1. कालूराम पुत्र लालाराम व्यस्क
2. जुगताराम पुत्र लालाराम व्यस्क
3. नरसींगाराम पुत्र लालाराम व्यस्क
4. प्रभूराम पुत्र लालाराम व्यस्क
5. भंवराराम पुत्र लालाराम व्यस्क
6. वंशाराम पुत्र लालाराम व्यस्क
7. वोहताराम पुत्र लालाराम व्यस्क
8. रमेश कुमार पुत्र नरसिंगाराम व्यस्क
9. सोरम पत्नी गणपत कुमार व्यस्क
10. धर्माराम पुत्र रणछोड़ाराम व्यस्क
11. ईशराराम पुत्र भावाराम व्यस्क
12. बगताराम पुत्र भावाराम व्यस्क
13. बुधाराम पुत्र भावाराम व्यस्क
14. मंगलाराम पुत्र भावाराम व्यस्क

जातियान कुम्हार (प्रजापति) साकिन गालानाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

15. कमलेश कुमार पुत्र घूंकाराम व्यस्क
16. दमयंती पुत्री सोनाराम व्यस्क
17. नगाराम पुत्र धुंकाराम व्यस्क
18. नेनाराम पुत्र भावाराम व्यस्क
19. नरपत कुमार पुत्र सोनाराम व्यस्क
20. प्रवीणकुमार पुत्र घूंकाराम व्यस्क
21. पांचीदेवी पत्नी घूंकाराम व्यस्क
22. बाबूलाल पुत्र लालाराम व्यस्क
23. मिसराराम पुत्र राणाराम व्यस्क
24. सतुदेवी पुत्री [illegible] व्यस्क
25. सुन्दरदेवी [illegible] सोन[illegible] व्यस्क
26. केली पुत्री लाला[illegible]
27. [illegible]
28. [illegible] पुत्र भा[illegible] व्यस्क
29. चूकी पुत्री लालाराम व्यस्क
30. चेतनराम पुत्र सोनाराम व्यस्क
31. छगनाराम पुत्र लालाराम व्यस्क

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 13:15:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अ[illegible]
सिणधरी

32. जेनाराम पुत्र भावाराम व्यस्क
33. जयराम पुत्र सोनाराम व्यस्क
34. दूदाराम पुत्र लालाराम व्यस्क जातियान सुथार साकिन गालानाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
35. ग्राम पंचायत अरणियाली महेचान
36. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक –22.04.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी में खसरा संख्या 213/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी में खसरा संख्या 213/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्र[illegible]ण [illegible]नवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं [illegible] उनके विरूद्ध [illegible]का कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:46 IST
Reason: SelfAttested

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

गालानाडी में खसरा संख्या 213/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माते या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी में खसरा संख्या 213/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी में खसरा संख्या 213/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी में खसरा संख्या 213/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी